(13) (22)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष : आर. के.मिश्रा

सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी निग 1674–दो/2013 विरूद्व आदेश दिनांक 02–03–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण 278/अपील/2010–11

विश्वनाथ कोल तनय कल्लू कोल
निवासी सायडिंग तहसील रघुराजनगर
जिला सतना म0प्र0

.....आवेदक

बनाम

1. शिवप्रसाद चौधरी तनय श्री रामाश्रय चौधरी
   निवासी बठिया खुर्द तहसील रघुरानगर
   जिला सतना म0प्र0
2. शासन म0प्र0

.....अनावेदकगण

श्री कुबेर प्रसाद अग्निहोत्री, अभिभाषक, आवेदक
श्री रामनरेश मिश्रा, अभिभाषक, अनावेद कं 1

: : आ दे श : :

(आज दिनांक 5/2/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू– राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा द्वारा पारित दिनांक 02–03–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा म0प्र0 शासन की भूमि का फर्जी पट्टा की जांच किये जाने हेतु कलेक्टर सतना के समक्ष शिकायत की तथा तहसीलदार रघुरानगर के समक्ष कार्यवाही हेतु संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र पेश किया। तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 31/अ–6/08–09 में पारित आदेश दिनांक 15–4–10 के द्वारा फर्जी पट्टरा पाये जाने से निरस्त किया और भूमि म0प्र0 शासन दर्ज करने के आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 10–11–10 के द्वारा अपील स्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 2–3–2013 से अपील आवेदन स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों एवं इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमियां 136 रकबा 1.80 तथा 154 रकबा 1.98 रिकार्ड में रास्ता दर्ज है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि रास्ते की भूमियां का बिना नौईयत परिवर्तन एवं बिना निस्तार पत्रक के किस प्रकार बंटित कर दी गई। तहसीलदार ने परीक्षण उपरांत भूमि शासकीय घोषित की। अनुविभ्ज्ञागीय अधिकारी ने बिना सक्षम आदेश के उक्त भूमि आवेदक की मानी। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त ने परीक्षण उपरांत यह पाया कि शासकीय भूमि को न रास्ते की भूमि को न तो नोईयत परिवर्तन

की गई न पट्टे का अमल किया गया है। अतः तहसीलदार का आदेश उचित है। इस न्यायालय में आवेदक कोई नये तथ्य पेश नहीं कर पया जिससे भूमि आवेदक की मान्य की जा सके। अतः भूमि शासकीय रास्ते की मान्य की जाती है। अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के त्रुटिपूर्ण आदेश को निरस्त कर तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 02–03–2013 यथावत रखा जाता है।

05/02/19

(आर0के0 मिश्रा)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर